रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 1983/फाल्गुन 27, 1904

No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 1983/PHALGUNA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं० प्रतिअदायगी/सा०सू०-3/83

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1983

सार्वजनिक सूचना

फा० सं० 600/2402-2430/83-प्र० अ०—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 मे प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 50/82, दिनांक 1 जून, 1982 मे प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2429 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान	
			सी०शु०	के०उ०शु०
2429	नालीदार बोर्ड से बने मुद्रित बक्से/कार्टन	यथास्थिति उपक्रमांक सं० 2403 और/या 2416 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर यथा अनुमत्य प्रतिअदायगी की दर।		

टिप्पणी—ऊपर उल्लिखित दर केवल ऐसे नालीदार बोर्ड बक्सों/कार्टनों पर ही लागू होती है जो पूर्णतः क्राफ्ट कागज (जिसमें डामर युक्त जलरोध क्राफ्ट कागज भी शामिल है) अथवा कागज से और क्राफ्ट लाइनर अथवा नालीदार माध्यम के रूप में ज्ञात किस्म के पेपरबोर्ड से, जो या तो मिल बोर्ड अथवा स्ट्रा बोर्ड को मिला कर/अथवा उसके बिना, बने हों।"

यह सार्वजनिक सूचना 22 फरवरी, 1983 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NO. DRAWBACK PN—3/83

New Delhi, the 18th March, 1983

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2402-2430/83—DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-50/82 dated the 1st June, 1982:—

For Sub-Serial No. 2429 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation Cus. C.Ex.
"2429	Printed boxes/cartons made of corrugated board.	The rate of drawback as admissible to articles under Sub-serial No. 2403 and/or 2416, as the case may be.	

Note : The above rate is applicable only to such corrugated board boxes/cartons which are wholly made of Kraft paper (including bituminised water proof kraft paper) or out of paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium, whether or not in combination with mill board or straw board".

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 22nd day of February, 1983.

सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 4/83

सार्वजनिक सूचना

फा०सं० 600/1102-1115/82 प्र०अ०:—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी /सा०सू० 50 दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

"प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में उपक्रमांक 1112 और 1113 के सामने की मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

उपक्रमांक	प्रतिअदायगी की दर
1112	111.00 रु० (केवल एक सौ ग्यारह रुपये) प्रति मी० टन
1113	16.70 रुपये (केवल सोलह रुपये सत्तर पैसे) प्रति मी० टन

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1982 से लागू हुई समझी जायेगी।

जे०एस०आर० खाथिंग, अवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-4/83

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/1102-1115/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK PN-50 dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Rate of Drawback' against Sub-Sl. Nos. 1112 and 1113 for the existing entry the following shall be substituted namely:—

SS No.	Rate of Drawback
11 2	Rs. 111.00 (rupees one hundred and eleven only) per tonne.
1113	Rs. 16.70 (Rupees Sixteen and paise seventy only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

J. S. R. KHATHING, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983